सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा में प्रथम अपीलीय अधिकारी दिलीप कुमार अग्रवाल, अपर कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा

अपील प्रकरण क्रमांक – 02/2017

श्री दिवाकर सिंह महोबिया,
ग्राम बिडौरी (आमगांव) तहसील–छुईखदान,जिला राजनांदगांव,छ0ग0 ....अपीलार्थी

विरूद्ध

श्री अरविंद कुमार एक्का जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर
जिला दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा ....रिस्पाडेंट

–आदेश–

(पारित दिनांक 20/01/2017)

- श्री दिवाकर सिंह महोबिया, ग्राम बिडौरी (आमगांव) तहसील–छुईखदान जिला राजनांदगांव के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत् प्रथम अपील दिनांक 04–01–2017 डाक के माध्यम से प्रेषित किया गया। जो प्रथम अपीलीय अधिकारी को दिनांक 09–01–2017 को प्राप्त हुआ।
- अपीलार्थी द्वारा प्रथम अपील के साथ प्रथम अपील शुल्क के रूप में 50.00 रू0 का भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर कमांक 578772 जमा किया गया तथा जन सूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन पत्र की छाया प्रति संलग्न की गई है।
- अपीलार्थी ने प्रथम अपील में लेख किया है कि सूचना के अधिकार के तहत् उन्होंने जन सूचना अधिकारी कार्यालय कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाड़ा को आवेदन पत्र दिनांक 23–11–2016 प्रेषित कर "सन् 2014–15 में माननीय श्री केदार कश्यप जी शिक्षा मंत्री छ0ग0शा0 द्वारा कुमारी डॉली सिंह महोबिया का कृषि महाविद्यालय दंतेवाड़ा में अध्ययन हेतु प्रेषित सहायता पत्र को किस आधार व कारण पर निरस्त किया गया" समस्त पत्रों की छायाप्रति उपलब्ध कराने का निवेदन किया गया था किन्तु आज पर्यन्त कोई जवाब न मिलने के कारण यह प्रथम अपील प्रस्तुत की जा रही है।
- प्रथम अपील प्रकरण दर्ज कर जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय दन्तेवाड़ा को सूचना पत्र कमांक/125/दिनांक 09–01–2017 के माध्यम से अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की छायाप्रतियां प्रेषित कर पक्ष समर्थन में जवाब प्रस्तुत करने निर्देशित किया गया तथा अपीलार्थी को भी सुनवाई के दौरान दिनांक 17–01–2017 को उपस्थित रहने सूचित किया गया।
- प्रकरण की प्रथम सुनवाई तिथि 17–11–2016 को अपीलार्थी द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। जन सूचना अधिकारी श्री अरविंद कुमार एक्का ने उपस्थित होकर पत्र कमांक/195/सू.का.अ./दिनांक 13–01–2017 के माध्यम से अपना जवाब तथा अपीलार्थी का आवेदन प्राप्त होने उपरांत उन्हें प्रेषित पत्र कमांक/5184/सू.का.अ./दन्तेवाड़ा दिनांक 02–12–2016 की छाया प्रति अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई।
- प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों, जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं आवेदक को प्रेषित पत्र का अवलोकन किया गया। जन सूचना अधिकारी ने आवेदक को पत्र कमांक 5184 दिनांक 02–12–2016 भेजकर यह लेख किया था कि उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि उनका आवेदन पत्र किस विभाग में किस माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। पूर्व में किसी विभाग से पत्राचार किया गया है तो उसका उल्लेख एवं पत्राचार संबंधी दस्तावेजों की छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत किया जावे ताकि विषयवस्तु से संबंधित जन सूचना अधिकारी तक आपके आवेदन को प्रेषित किया जा सके। अपीलार्थी के प्रथम अपील में लेख किया गया यह तथ्य कि जन सूचना अधिकारी से आज पर्यन्त कोई जानकारी प्राप्त नहीं

हुई है, स्वीकार योग्य नहीं है। आवेदक द्वारा जन सूचना अधिकारी को प्रेषित आवेदन पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि उन्होंने अस्पष्ट आवेदन पत्र प्रेषित किया है। कृषि महाविद्यालय में अध्ययन हेतु यदि कोई आवेदन पत्र भेजा गया हो तो इस संबंध में उन्हें कृषि महाविद्यालय दंतेवाड़ा के लिए नियुक्त जन सूचना अधिकारी से जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए था। अतः प्रकरण इस निर्देश के साथ नस्तीबद्ध किया जाता है कि अपीलार्थी को जिन दस्तावेजों की आवश्यकता है उसका स्पष्ट रूप से उल्लेख करते हुए संबंधित विभाग या कार्यालय के जन सूचना अधिकारी को अपना आवेदन पत्र प्रेषित करे ताकि उनके आवेदन का निराकरण हो सके।

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा

पृ0क0/339 /सू0अ0/अपील/2017 दन्तेवाड़ा दिनांक 20-01-2017

प्रतिलिपि :-

1- जन सूचना अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर दक्षिण बस्तर दन्तेवाडा की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

2- श्री दिवाकर सिंह महोबिया, ग्राम बिडौरी (आमगांव) तहसील-छुईखदान जिला राजनांदगांव की ओर जन सूचना अधिकारी दन्तेवाड़ा द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं सहपत्र की छाया प्रति सहित प्रेषित। इस आदेश के विरूद्ध यदि आप चाहें तो निम्नलिखित पते पर 90 दिवस के भीतर द्वितीय अपील कर सकते हैं।

3- डी0आई0ओ0, एन0आई0सी0 केन्द्र जिला कार्यालय दंतेवाड़ा की ओर वेब साईट में अपलोड करने की कार्यवाही हेतु प्रेषित।

पताः-

मुख्य सूचना आयुक्त, छत्तीसगढ़ सूचना आयोग
निर्मल छाया भवन, मीरादातार रोड शंकर नगर रायपुर (छ0ग0)

अपर कलेक्टर एवं
प्रथम अपीलीय अधिकारी
दन्तेवाड़ा